ग्रामीण एवं शहरी आय का आकलन, 2004-05

प्रस्तावना

1.1 केन्द्रीय सांख्यिकी **कार्यालय** (के.सां.का.) , एनएएस, 1970-71 श्रृंखला से, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एन ए एस) श्रृंखला के आधार वर्षों के लिए, निवल घरेलू उत्पाद (एन डी पी) के रुप में भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रामीण और शहरी आय के आकलनों का संकलन कर रहा है । ग्रामीण और शहरी ब्यौरों सहित ये एन डी पी आकलन अभी तक 1970-71, 1980-81, 1993-94 और 1999-2000 वर्षों के लिए संकलित किए जा चुके हैं । इन आकलनों को संकलित करने के लिए अपनाई गई कार्यविधि आबंटन पद्धति थी, जिसमें ग्रामीण और शहरी ब्यौरों सहित, प्रत्येक आर्थिक क्रियाकलाप के लिए उपलब्ध संकेतकों पर डाटा का प्रयोग करते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच क्रियाकलाप वार एन डी पी आबंटित किया था । इस आबंटन पद्धति में प्रयोग किए गए मुख्य संकेतकों में निम्नलिखित शामिल थे, श्रम निवेश, सर्वेक्षणों के परिणाम और प्रशासनिक अभिलेख, जो इन संकेतकों पर डाटा का ग्रामीण और शहरी ब्यौरा उपलब्ध करवाते हैं ।

1.2 इस पद्धति को जारी रखते हुए तथा पिछले आकलनों के लिए व्यापक रुप से अपनाई गई प्रणालियों और स्त्रोतों के आधार पर, वर्ष 2004-05 के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए एन डी पी का संकलन किया गया है जिसके पश्चात् आधार वर्ष 2004-05 सहित नई एन ए एस श्रृंखला का सूत्रपात हुआ ।

2. ग्रामीण और शहरी आय 2004-05 के आकलन में अपनाई गई पद्धति

2.1 ग्रामीण और शहरी आय (निवल घरेलू उत्पाद-एन डी पी के रुप मे) के आकलन हेतु क्रियाकलाप वार दृष्टिकोण एवं पद्धति निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई है ।

कृषि

2.2 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित कृषकों के स्थिति मूल्यांकन का सर्वेक्षण (एसएएस) , 2002-03, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संबंध में पृथक रुप से संचालित कुल क्षेत्र मुहैया कराता है । एसएएस के परिणामों के अनुसार भूमि जोत के अंतर्गत कुल क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि जोत के क्षेत्र का अनुपात 95.86 प्रतिशत अनुमानित है । इस अनुपात का प्रयोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कृषि के एन डी पी के आबंटन हेतु किया गया है ।

2.3 पशुधन संख्या के लिए डाटा का मूल स्त्रोत, पांच वर्षीय अखिल भारत पशुधन गणना है । वर्ष 2003 में आयोजित नवीनतम पशुधन गणना के परिणाम के अनुसार, कुल पशुधन संख्या में से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संख्या (पोल्ट्रि सहित) का समानुपात 94.18 प्रतिशत आकलित किया गया । इस अनुपात का प्रयोग, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच पशुधन के एन डी पी के आबंटन हेतु किया गया है । सिंचाई प्रणाली के प्रचालन के मामले में, संपूर्ण एन डी पी ग्रामीण क्षेत्रों को आबंटित किया गया है ।

वानिकी एवं लट्ठे बनाना

2.4 वानिकी उत्पादों के उत्पादन पर डाटा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रथक रुप से उपलब्ध नही है । तथापि रा.प्र.सर्वे. उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से उपलब्ध डाटा के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद आकलनों में जलाऊ लकड़ी के उपभोग के आधार पर जलाऊ लकड़ी के उत्पादन का आकलन किया जाता है । ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पृथक रुप से जलाऊ लकड़ी के उपभोग का आकलन करने के लिए, रा.प्र.सर्वे.के 61वें दौर के सर्वेक्षण (रिपोर्ट सं. 508) में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से जलाऊ लकड़ी और चिप्स के प्रति व्यक्ति औसत मासिक रुप से पारिवारिक खपत पर डाटा उपलब्ध है । इस सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी के उपभोग का अनुपात 87.01 प्रतिशत है । औद्योगिक लकड़ी के लिए वनों (टी ओ एफ) से बाहर वृक्षों से उत्पादित लकड़ी मुख्य घटक है । इस संबंध में, इस मद के उत्पादन के ग्रामीण शेयर को प्राप्त करने के लिए, भारत के वन सर्वेक्षण (एफ एस आई) द्वारा आकलित ग्रामीण क्षेत्रों के टी ओ एफ के बढ़ते स्टॉक को, कुल औद्योगिक लकड़ी के उत्पादन पर अनुप्रयुक्त किया गया है । कुल क्षेत्र में से ग्रामीण क्षेत्रों में टीओएफ के बढ़ते स्टॉक का अनुपात 94.97 प्रतिशत है । ग्रामीण क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी और औद्योगिक लकड़ी के सम्मिश्रित अनुपात का प्रयोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच वानिकी क्षेत्र के एन डी पी के आबंटन हेतु किया गया है ।

मत्स्यन

2.5 मत्स्यन क्रियाकलाप में अन्तर्देशी मछली और समुद्री मछली का उत्पादन शामिल है ।"भारत में बेरोजगारी और रोजगार की स्थिति, 2004-05" शीर्षेक से एनएसएसइयूएस 2004-05 की रिपोर्ट सं. 515 (पैरा- II) में उपलब्ध क्रमशः शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल कामगारों के लिए औसत मजदूरी द्वारा बढ़ाए गए शहरी और ग्रामीण कार्यबल, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच मत्स्यन के एन डी पी के आबंटन के लिए अनुपात मुहैया करवाते हैं ।

खनन एवं उत्खनन

2.6 61वें दौर, 2004-05 के रा.प्र.सर्वे.के रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण से उपलब्ध खनन एवं उत्खनन में कार्यबल के ग्रामीण/शहरी अनुपात का उपयोग, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच क्रियाकलापों के एन डी पी के आबंटन हेतु किया गया है ।

पंजीकृत विनिर्माण

2.7 वर्ष 2004-05 के लिए, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ए एस आई) की रिपोर्टों में सीधे उपलब्ध, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवल मूल्य वर्धित (एन वी ए) के आकलनों का प्रयोग करते हुए पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र के लिए एन डी पी आबंटित किया गया है ।

अपंजीकृत विनिर्माण

2.8 अपंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र के लिए, 2005-06 में आयोजित असंगठित विनिर्माण क्षेत्र पर रा.प्र.सर्वे.सं. के सर्वेक्षण के 62वें दौर (2005-06) से प्राप्त किए गए ग्रामीण और शहरी जी वी ए आकलनों में विभेदकों का प्रयोग अपंजीकृत विनिर्माण के लिए एन डी पी के ग्रामीण-शहरी अनुमानों के परिकलन हेतु किया गया है ।

बिजली, गैस और जल-आपूर्ति

2.9 गैस, बिजली और जल आपूर्ति क्षेत्र हेतु वर्ष 2004-05 के लिए कार्यबल के ग्रामीण/शहरी अनुपातों का उपयोग इस क्रियाकलाप के ग्रामीण/शहरी एन डी पी आकलनों के परिकलन हेतु किया गया है ।

निर्माण

2.10 निर्माण उद्योग में एन डी पी के अनुमानों को प्रत्येक तीन संस्थागत क्षेत्रों, नामतः सार्वजनिक क्षेत्र, निजी कारपोरेट क्षेत्र तथा पारिवारिक क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यप्रणाली का प्रयोग करते हुए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच बांटा गया है ।

2.11 विभिन्न संस्थानों में विभिन्न उप-क्षेत्रों के प्रत्येक क्षेत्र हेतु ग्रामीण तथा शहरी वर्गों में निर्माण उद्योग में कुल एन डी पी के अनुमान विभाजित करने हेतु जो मानक तैयार किए गए हैं वे गणना तथा विभिन्न सर्वेक्षणों के परिणामों पर आधारित हैं । मानकों की व्याख्या नीचे दी गई हैः-

(i) सार्वजनिक क्षेत्र हेतु एन डी पी के अनुमान प्रत्येक तीनों उप-संस्थनों नामतः (i) प्रशासनिक विभाग, (ii) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम (डी सी यू) तथा (iii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम (एन डी सी यू) हेतु तैयार किए गए हैं । इसके अलावा प्रत्येक उप संस्थानों में भवनों, सड़कों तथा पुलों और अन्य निर्माण जैसी परिसम्पतियों के विभिन्न प्रकारों हेतु एन डी पी के अनुमान तैयार किए गए हैं । सार्वजनिक प्रशासन तथा डी सी यू में निर्माण में एन डी पी के अनुमानों को रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण के 61वें दौर, 2004-05 से उपलब्ध इस घटक की श्रम लागत (एल आई) में ग्रामीण शहरी अंतर के अनुपात के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच बांटा गया है । यह अनुपात ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 86.9 तथा 13.1 है । एन डी सी यू के लिए, एन डी पी को उद्योगवार विभाजित किया गया है । कृषि तथ संबद्ध कार्यकलापों और खनन तथा उत्खनन में निर्माण केवल ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है । जबकि निर्माण, व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेंट, परिवहन, स्टोरेज, भू-संपदा आदि जैसे उद्योगों में निर्माण केवल शहरी क्षेत्रों में किया गया है । अन्य उद्योगों हेतु, वा.उ.सर्वे.2004-05 से प्राप्त संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के नए निर्माण के ग्रामीण-शहरी वितरण के आधार पर एन डी पी का विभाजन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में किया गया है ।

(ii) निजी कॉरपोरेट क्षेत्र के मामले में, एन डी पी के अनुमान प्रत्येक उपक्षेत्रों नामतः (i) संयुक्त स्टॉक कम्पनियों (ii) अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (iii) सहकारी समितियों (क्रेडिट एंड नॉन-क्रेडिट) और (iv) निर्माणाधीन नई कंपनियों हेतु अलग अलग तैयार किए गए हैं । मद सं. (i) , (ii) तथा (iv) के लिए एन डी पी को उद्योगवार विभाजित किया गया है । कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों तथा खनन एवं उत्खनन में निर्माण केवल ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है । जबकि निर्माण, व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेंट, परिवहन, स्टोरेज, भू-संपदा आदि जैसे उद्योगों तथा अन्य

सेवाओं में निर्माण केवल शहरी क्षेत्रों में किया गया है । अन्य उद्योगों के लिए, वा.उ.सर्वे.2004-05 के परिणामों से उपलब्ध संयुक्त स्टॉफ कंपनियों के नए निर्माण के ग्रामीण-शहरी वितरण के आधार पर एन डी पी का विभाजन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच किया गया है । अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (निजी बैंक तथा विदेशी बैंक) के लिए एन डी पी का विभाजन, वर्ष 2004-05 के लिए अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा और उधार राशि के ग्रामीण-शहरी हिस्से के अनुपात में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में किया गया है । इस आंकड़े का स्रोत भारत में बैंकों से संबंधित आर बी आई की सांख्यिकीय सारणियां, 2004-05 है । इस मामले में संबंधित ग्रामीण-शहरी अनुपात क्रमशः 25.85 प्रतिशत तथा 74.15 प्रतिशत हैं ।

(iii) पारिवारिक क्षेत्र में, ग्रामीण आवासीय भवनों तथा शहरी आवासीय भवनों के निर्माण जैसे विशेष कार्यकलापों का आबंटन उनके संबंधित क्षेत्रों के लिए किया गया है जैसा कि मौजूदा समय में वार्षिक जी डी पी अनुमानों हेतु समेकन किया जा रहा है । पौधारोपण, पवन ऊर्जा प्रणालियों आदि संबंधी व्यय हेतु प्राप्त समस्त एन डी पी ग्रामीण क्षेत्र हेतु चिन्हित की गई है । निर्माण के शेष भाग पर हुए व्यय को (समग्र निर्माण उत्पादन से सार्वजनिक, निजी कॉरपोरेट तथा परिवार संबंधी निर्माण के हिस्सों को समूहबद्ध करने के बाद) रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण का 61वां दौर, 2004-05 से उपलब्ध ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र में कार्यरत श्रम लागत (एल आई) के अनुपात के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है । गैर-आवासीय भवनों तथा अन्य निर्माण कार्यों संबंधी निर्माण हेतु अनुमान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच बांटे गए हैं जो अखिल भारत ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (ए आई डी आई एस) 2002-03 से उपलब्ध नए निर्माण संबंधी ग्रामीण-शहरी व्यय पर आधारित हैं ।

व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेन्ट

2.12 इस क्षेत्र का जी वी ए तीन भागों अर्थात् सार्वजनिक निजी, संगठित तथा असंगठित में तैयार किया गया है । सार्वजनिक और निजी संगठित क्षेत्र के जी वी ए का आबंटन, ई यू एस-2004-05 से प्राप्त संबंधित खंडों के कुल कार्यबल में ग्रामीण-शहरी अंतर के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को किया गया है । असंगठित भाग के लिए, वार्षिक एन ए एस अनुमानों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए जी वी ए अनुमान अलग से उपलब्ध हैं । इस प्रकार प्राप्त किया गया ग्रामीण और शहरी जी वी ए का अंतर एन डी पी के ग्रामीण और शहरी अनुमान प्राप्त करने हेतु परिवार क्षेत्र में कुल एन डी पी के लिए उपयोग किया गया है । व्यापार संबंधी कार्यकलापों हेतु जी वी ए पी डब्ल्यू अनौपचारिक क्षेत्र संबंधी रा.प्र.सर्वे.सं.के 55वें दौर (1999-2000) सर्वेक्षण से ली गई है और होटल्स तथा रेस्टोरेन्ट्स के लिए जी वी ए पी डब्ल्यु, रा.प्र.सर्वे.सं.के उद्यम सर्वेक्षण 57 वां दौर (2001-02) से प्राप्त की गई है ।

रेलवे को छोड़कर परिवहन और स्टोरेज

2.13 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जी वी ए अनुमान व्यापार, होटल्स तथा रेस्टोरेन्ट्स क्षेत्र की भांति ही कार्यप्रणाली का प्रयोग कर तैयार किए गए हैं । सार्वजनिक क्षेत्र की जी वी ए का आबंटन कुल कार्यबल में ग्रामीण-शहरी अंतर के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को किया गया है । निजी संगठित तथा असंगठित हिस्से के लिए, जी वी ए अनुमान वार्षिक एन ए एस अनुमानों में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों हेतु अलग-अलग उपलब्ध हैं । एन डी पी के ग्रामीण तथा शहरी अनुमान प्राप्त करने हेतु कुल एन डी पी पर ग्रामीण एवं शहरी जी वी ए अंतर का उपयोग किया गया है । इन सभी क्षेत्रों के असंगठित घटक से जी वी ए की गणना करने हेतु जी वी ए पी डब्ल्यू , एन एस एस ओ के उद्यम सर्वेक्षण-63वां दौर (2006-07) से प्राप्त की गई है ।

संचार

2.14 सार्वजनिक क्षेत्र के जीवीए को कुल कार्यबल में ग्रामीण-शहरी विभेदक के आधार पर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है । निजी संचार भाग में (i) कुरियर कार्यकलाप (एनआईसी-98, कोड-64120) , (ii) केबल ऑपरेटरों के कार्यकलाप (एनआईसी-98, कोड-64204) , (iii) अन्य संचार (एनआईसी-98, कोड-642(-) 64204) ,हैं । कुरियर के कार्यकलापों एवं केबल ऑपरेटरों के मामले में जीवीए अनुमान वार्षिक जीडीपी अनुमान में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पृथक रूप से उपलब्ध हैं । अन्य संचार के मामले में, निजी संगठित भाग के जीवीए अनुमान वार्षिक जीडीपी अनुमानों में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक रूप से उपलब्ध हैं । इस प्रकार अनुमानित ग्रामीण एवं शहरी जीवीए में विभेदक का इस्तेमाल कुल डीपी में किया गया है, ताकि एनडीपी के ग्रामीण एवं शहरी अनुमानों के बीच अंतर किया जा सके ।

बैंकिंग एवं बीमा

2.15 बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच एनडीपी का निर्धारण करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा एवं उधार के ग्रामीण एवं शहरी विवरणों का संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया गया है । अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा एवं उधार संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के प्रकाशन " बेसिक स्टेटिस्टिकल रिटर्न-2004-05 " से लिए गए हैं ।

भू संपदा, मकान का स्वामित्व एवं व्यापारिक सेवाएं

2.16 इस कार्यकलाप में जिन आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया गया है वे हैं (i) मकान का स्वामित्व (मालिकाना रिहाईशी मकान) (ii) भू संपदा सेवाएं (भू संपदा से जुडे ऑपरेटर, डेवलपर तथा एजेंट जैसे सभी प्रकार के डीलरों के कार्यकलाप) , (iii) ऑपरेटर के बिना मशीनरी एवं उपकरणों तथा कार्मिकों को किराए पर देना तथा घरेलू वस्तुएं, (iv) कंप्युटर एवं इससे जुड़े कार्यकलाप, (v) लेखांकन, बहीखाता लिखना तथा इससे जुड़ी गतिविधियां, (vi) अनुसंधान एवं विकास, बाजार अनुसंधान एवं लोकमत पोलिंग, व्यापार एवं प्रबंध संबंधी परामर्श, वास्तुशिल्पीय, इंजीनियरिंग एवं अन्य तकनीकी गतिविधियां, विज्ञापन एवं व्यापारिक गतिविधियां (vii) विधिक सेवाएं । मकान के स्वामित्व में मालिक द्वारा अधिकृत मकान के आउटपुट का आरोपित मूल्य शामिल है ।

2.17 सॉफ्टवेयर के निजी संगठित भाग तथा मकानों के स्वामित्व को छोड़कर इस क्षेत्र में सभी कार्यकलापों के मामले में वार्षिक जीवीए अनुमान जीवीएपीडब्ल्यू तथा कार्य बल के उत्पाद के रूप में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए जीवीए अनुमान पृथक रूप से तैयार किए गए हैं । संगठित क्षेत्र की सॉफ्टवेयर सेवाओं के संपूर्ण जीवीए को शहरी क्षेत्रों में डाला गया है ।

2.18 मकानों के स्वामित्व से संबंधित जीवीए अनुमान के लिये 2001 की जनगणना के अनुसार परिवारों तथा रा.प्र.सर्वे. के 61वें दौर के परिणामों से प्राप्त किराया प्रति परिवार के किराए का इस्तेमाल शहरी क्षेत्रों में सकल किराए का अनुमान लगाने के लिए किया गया है । शहरी क्षेत्रों में जीवीए अनुमान लगाने के लिए सकल किराए में से मरम्मत एवं रख-रखाव की लागत को घटा दिया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में जीवीए का अनुमान लगाने के लिए प्रयोक्ता लागत अप्रोच का इस्तेमाल

किया जाता है । एनडीपी को जीवीए में ग्रामीण-शहरी विभेदक के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है ।

लोक प्रशासन एवं रक्षा

2.19 " लोक प्रशासन एवं रक्षा " के लिए विभिन्न वेतनमानों के कर्मचारियों का वर्गीकरण रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीई एवं टी के प्रकाशन " 13 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों की गणना " से लिया गया है । विभिन्न शहरों के कर्मचारियों की आय की गणना करने के लिए वित्त मंत्रालय की वेतन एवं अनुसंधान इकाई द्वारा प्रकाशित " केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, 2004-05 " संबंधी ब्रोशर में उपलब्ध विभिन्न शहरों/नगरों में दिए जाने वाले वेतन एवं भत्तों से संबंधित सूचना को संबंधित वर्गों के कर्मचारियों की संख्या के साथ जोड़ दिया गया है । ए 1, ए, बी 1, बी 2, सी के रूप में वर्गीकृत शहरों को शहरी क्षेत्र माना गया है तथा शेष शहरों को ग्रामीण क्षेत्र । कुल आय (वेतन एवं भत्ते) में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अंतर का इस्तेमाल ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कुल एनडीपी का अनुमान लगाने के लिए किया गया है ।

रेलवे

2.20 रेलवे के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रेलवे के एनडीपी का पता करने के लिए आरजीआई-जनगणना, 2001 से लिए गए कार्यबल में ग्रामीण एवं शहरी अंतर का इस्तेमाल रेलवे के एनडीपी के संबंध में किया गया है ।

अन्य सेवाएं

2.21 इस क्षेत्र में जिन आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया गया है, वे हैं (i) कोचिंग एवं ट्यूशन, (ii) कोचिंग एवं ट्यूशन को छोड़कर शिक्षा (iii) पशुचिकित्सा संबंधी कार्यकलाप सहित मानव स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलाप, (iv) मल जल एवं कूड़ा निपटान सफाई के कार्यकलाप, (v) सदस्यता संगठनों के कार्यकलाप, (vi) मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं खेलकूद के कार्यकलाप, (vii) कपड़ों एवं फर उत्पादों की घुलाई एवं सफाई, (viii) केश सज्जा एवं खूबसूरती के अन्य उपाय, (ix) अन्त्योष्टि एवं इससे जुड़े कार्य, (x) रोजगार प्राप्त व्यक्ति के साथ निजी परिवार (xi) कस्टम टेलरिंग एवं (xii) इतर प्रादेशिक संगठन एवं निकाय ।

2.22 शिक्षा, मेडिकल, मल जल तथा टेलिविजन एवं रेडियों (प्रसार भारती) के लिए ईयूएस 2004-05 के अनुसार कुल कार्यबल में ग्रामीण-शहरी विभेदक के आधार पर जीवीए को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है । इस क्षेत्र के अन्य सभी कार्यकलापों के लिए, निजी संगठित एवं असंगठित के लिए जीवीए के अनुमान जीवीएपीडब्ल्यू तथा वार्षिक जीवीए अनुमान में कार्यबल के उत्पाद के रूप में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो के लिए पृथक रूप से उपलब्ध हैं । इस प्रकार प्राप्त ग्रामीण-शहरी जीवीए का इस्तेमाल ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में एनडीपी का निर्धारण करने के लिए किया गया है ।